रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271698
CG-DL-E-10042026-271698

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948**
No. 106]	**NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

फा. सं. पी-32026/2/2024-एमआईआईयूएस.— भारत सरकार, **भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य)** स्कीम की घोषणा करती है।

1. **स्कीम का शीर्षक:** यह स्कीम **भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य)** के नाम से जानी जाएगी।

2. **पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य:** भव्य का उद्देश्य राज्यों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से शहरों में तथा उनके आस-पास निवेश के लिए तैयार 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास करना है। उच्च गुणवत्ता वाली प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना, शहरों से निकटता पर विशेष ध्यान, मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं और औद्योगिक केंद्रों से सुचारू संपर्क के साथ, इस स्कीम के अंतर्गत विकसित औद्योगिक पार्क निवेशकों को अपने निवेश को आसानी से जमीनी स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाएंगे और एक कुशल तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी ईकोसिस्टम को भी बढ़ावा देंगे, जो विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है।

3. **स्कीम की शुरुआत और इसकी अवधि:** यह स्कीम वित्त वर्ष 2026-27 से प्रारंभ होकर 2031-32 तक छह (6) वर्षों की अवधि के लिए संचालित की जाएगी, जिसके लिए 33,660 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

4. **स्कीम का दायरा:** इस स्कीम के अंतर्गत दो या अधिक चरणों में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पहले चरण में 50 औद्योगिक पार्कों के विकास का कार्य किया जाएगा।

5. **स्कीम के तहत सहायता के लिए पात्रता:**

5.1 **भूमि संबंधी आवश्यकता:** गैर-पहाड़ी राज्यों के लिए, औद्योगिक पार्क हेतु न्यूनतम 100 एकड़ की परस्पर लगी हुई एवं बाधामुक्त भूमि वाला भूखण्ड आवेदन के विचार हेतु आवश्यक होगा। परस्पर नहीं लगे हुए, समीपवर्ती या परस्पर जुड़े हुए भूखण्ड (अधिकतम 2, जिनमें प्रत्येक का न्यूनतम क्षेत्रफल 100 एकड़ हो) जो 2 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित हों, उन पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जा सकता है।

5.2 पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों तथा एक करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए न्यूनतम भूमि आवश्यकता, परस्पर लगी हुई एवं बाधामुक्त 25 एकड़ भूमि होगी।

5.3 यह भूमि राज्य सरकार, निजी डेवलपर अथवा केंद्रीय पीएसयू द्वारा, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, स्कीम के अंतर्गत अनुमोदन पर विचार किए जाने से पूर्व कम से कम 90 प्रतिशत बाधामुक्त भूमि की उपलब्धता अनिवार्य होगी।

5.4 विकसित किए जाने वाले 100 औद्योगिक पार्कों में से 20 औद्योगिक पार्क 500 एकड़ से 1000 एकड़ के मध्य क्षेत्रफल वाले होंगे, जबकि शेष 500 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले होंगे।

5.5 ब्राउनफील्ड पार्कों पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उपर्युक्त पैरा 5.1 और 5.2 के अनुसार न्यूनतम क्षेत्रफल की बाधामुक्त, कानूनी विवाद-मुक्त, परस्पर लगी हुई तथा आबंटित न की गई भूमि उपलब्ध हो।

5.6 जिन परियोजनाओं में भूमि लैंड पूलिंग या टाउन प्लानिंग स्कीमों के माध्यम से विकास हेतु उपलब्ध कराई जाती है, उन्हें अतिरिक्त वेटेज प्रदान किया जाएगा।

5.7 **आयोजना एवं विकास शक्तियों का प्रत्यायोजन:** प्रभावी सिंगल-विंडो मैकेनिज्म सुनिश्चित करने हेतु आयोजना एवं विकास संबंधी शक्तियां, राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को प्रत्यायोजित की जाएंगी। परियोजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी को किसी भी निधि के हस्तांतरण से पूर्व ऐसा प्रत्यायोजन अनिवार्य होगा।

5.8 भूमि तथा आयोजना एवं विकास शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित अनिवार्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त, प्रत्येक औद्योगिक पार्क के आवेदन/प्रस्ताव का मूल्यांकन, स्कीम के अंतर्गत फंडिंग हेतु चयन के उद्देश्य से चैलेंज मोड के आधार पर किया जाएगा।

6. **कार्यान्वयन की विधि:**

6.1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रायोजक एजेंसी होगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार, निजी डेवलपर्स से प्राप्त प्रस्तावों के लिए भी प्रयोजक एजेंसी होगी।

6.2 पार्क का विकास डीपीआईआईटी के अधीन राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) तथा राज्य नोडल एजेंसी के मध्य गठित विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के द्वारा किया जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार एक राज्य नोडल एजेंसी नामित करेगी, जो राज्य औद्योगिक विकास निगम, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण या ऐसी कोई अन्य सरकारी एजेंसी/प्राधिकरण हो सकती है, जो औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए अधिदेशित हों।

6.3 एसपीवी इस स्कीम के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का स्वामी होगा तथा विकसित किए जाने वाले औद्योगिक पार्क की आयोजना, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा। औद्योगिक पार्क हेतु भूमि का स्वामित्व एसपीवी को हस्तांतरित किया जाएगा तथा फंडिंग राशि केंद्र सरकार द्वारा एनआईसीडीआईटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

6.4 निम्नलिखित एसपीवी उपयोग में लिए जाएंगे:

(i) राज्य नोडल एजेंसी और एनआईसीडीआईटी द्वारा, औद्योगिक टाउनशिप/पार्क के विकास हेतु संयुक्त रूप से स्थापित कोई मौजूदा एसपीवी।

(ii) यदि ऐसा कोई एसपीवी अस्तित्व में नहीं है, तो इस उद्देश्य के लिए 6.4(i) के अंतर्गत गठित एसपीवी के समान ही कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक नए एसपीवी का गठन किया जाएगा।

(iii) निजी डेवलपर्स के मामले में, एसपीवी का गठन, राज्य नोडल एजेंसी, निजी डेवलपर और एनआईसीडीआईटी के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में किया जाएगा। निजी डेवलपर एंकर निवेशक भी हो सकता है और विकसित भूमि का अधिकतम 25% स्वयं को आबंटित कर सकता है। शेष विकसित भूमि (न्यूनतम 75%) एसपीवी द्वारा अन्य उद्योगों/इकाइयों को आबंटित की जाएगी।

6.5 एसपीवी की भूमिका और उत्तरदायित्व से संबंधित विस्तृत विवरण, विस्तृत दिशा- निर्देशों के भाग के रूप में जारी किए जाएंगे।

7. स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषण:

7.1 इस स्कीम का कुल परिव्यय 33,660 करोड़ रुपए है।

7.2 प्रत्येक परियोजना के लिए (निजी डेवलपरों वाले पार्कों को छोड़कर) प्रति एकड़ अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा, जो उपलब्धियों से संबद्ध किस्तों के आधार पर एनआईसीडीआईटी के माध्यम से, इक्विटी के रूप में प्रदान किया जाएगा तथा इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इस निधि का उपयोग मुख्य अवसंरचना, मूल्य संवर्धित अवसंरचना, सामाजिक अवसंरचना तथा बाह्य अवसंरचना के विकास हेतु किया जा सकेगा।

7.3 इस स्कीम के तहत प्रत्येक औद्योगिक पार्क के लिए कुल वित्तपोषण में से 25% तक राशि लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बाह्य अवसंरचना कार्यों के विकास के लिए आबंटित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे बाह्य अवसंरचना की कुल लागत में से "भव्य" के अंतर्गत वित्तपोषण 25% से अधिक नहीं होगा तथा शेष 75% वित्तपोषण का वहन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

7.4 निजी डेवलपर्स के साथ साझेदारी में विकसित परियोजनाओं के मामले में, वित्तीय सहायता एनआईसीडीआईटी के माध्यम से इक्विटी के रूप में प्रदान की जाएगी, जो 50 लाख रुपए प्रति एकड़ या अवसंरचना लागत का 50%, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

7.5 प्रत्येक परियोजना के लिए निधि का संवितरण तीन वर्ष की अवधि में तीन किस्तों में किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक किस्त को जारी करने के संदर्भ में विशिष्ट उपलब्धि निर्धारित होगी।

7.6 पात्र घटकों, अपात्र घटकों तथा वित्तपोषण हेतु उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिशा-निर्देशों में अलग से जारी किया जाएगा।

8. आवेदन एवं परियोजना मूल्यांकन की प्रक्रिया

8.1 स्कीम के अंतर्गत आवेदन दो या अधिक चरणों में आमंत्रित किए जाएंगे।

8.2 प्रायोजक एजेंसियों द्वारा आवेदन, डीपीआईआईटी को भेजी जाएंगी।

8.3 आवेदनों का मूल्यांकन चैलेंज पद्धति के आधार पर किया जाएगा, जिसमें ऐसे मानदंड शामिल होंगे, जो योजना और विकास से लेकर संचालन और दीर्घकालिक स्थिरता तक औद्योगिक पार्क के संपूर्ण जीवन-चक्र को शामिल करते हों, जैसे कि स्थल चयन, लागत प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार, डीपीआर की गुणवत्ता, परिचालन संबंधी तैयारी, दीर्घकालिकता तथा संस्थागत ओ एंड एम फ्रेमवर्क।

8.4 मूल्यांकन केवल उन आवेदनों के मामले में किया जाएगा जो भूमि की उपलब्धता, योजना एवं विकास शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि से संबंधित अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करते हों।

8.5 मूल्यांकन मानदंड/मैट्रिक्स के मानदंडों तथा मूल्यांकन के माध्यम से चयन का विस्तृत विवरण दिशा-निर्देशों में अलग से जारी किया जाएगा।

9. शासन तंत्र:

9.1 इस स्कीम को डीपीआईआईटी की देखरेख में लागू किया जाएगा। स्कीम की देखरेख के लिए एक दो-स्तरीय मॉनीटरिंग तंत्र स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित समितियों का गठन किया जाएगा:

9.2 **राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति (एनएलएससी)** की अध्यक्षता डीपीआईआईटी के सचिव करेंगे और इसमें निम्नलिखित मंत्रालयों/ विभागों के सदस्य शामिल होंगे:-

i. नीति आयोग

ii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

iii. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

iv. रेल मंत्रालय

v. श्रम और रोजगार मंत्रालय

vi. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

vii. वस्त्र मंत्रालय

viii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

ix. व्यय विभाग

x. आर्थिक कार्य विभाग

xi. औषध विभाग

xii. वाणिज्य विभाग

एनएलएससी, विस्तृत दिशानिर्देशों, मूल्यांकन मानदंड और स्कोरिंग पद्धति और उसमें परिवर्तनों की सिफारिश करेगी; स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करेगी और अन्य आवश्यक उपाय करेगी।

9.3 **राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी)** की अध्यक्षता संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव करेंगे और निजी क्षेत्र सहित परियोजनाओं की सिफारिश करेंगे और साथ ही स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की मॉनीटरिंग और समीक्षा करेंगे। एसएलसी की संरचना और इसकी जिम्मेदारियों का विवरण दिशा-निर्देशों में अलग से जारी किया जाएगा।

10. परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) – राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम (एनआईसीडीसी), मूल्यांकन, चयन, कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग के सभी चरणों में स्कीम के कार्यान्वयन में एनएलएससी की सहायता करेगा। पीएमए की भूमिका और कार्यों के बारे में दिशा-निर्देशों में और विस्तार से बताया जाएगा।

11. स्कीम के दिशानिर्देश: इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परिचालन दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

12. स्कीम में संशोधन: स्कीम की अधिसूचना और दिशानिर्देशों में संशोधनों को अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार डीपीआईआईटी के प्रभारी मंत्री के पास है।

गुरनीत तेज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2026

F. No. P-32026/2/2024-MIIUS.—The Government of India is pleased to announce the **Bharat Audyogik Vikas Yojna (BHAVYA)** scheme.

1. **Scheme Title:** This Scheme shall be called **Bharat Audyogik Vikas Yojna (BHAVYA)**.

2. **Background & Objective:** BHAVYA aims to develop 100 investment-ready *plug-and-play* industrial parks in and near cities, in partnership with States, Central Public Sector Undertakings and private sector. By providing high quality *plug-and-play* infrastructure for industrial units, with focus on proximity to cities, seamless connectivity to multi-modal logistics facilities and industrial hubs, the industrial parks developed under the Scheme will enable investors to ground their investments with ease and foster an efficient and globally competitive ecosystem essential to boost manufacturing.

3. **Commencement and Duration of the Scheme:** The scheme will be operational for a period of six (6) years commencing from financial year 2026-27 up to 2031-32, with an outlay of ₹ 33,660 crores.

4. **Scope of the Scheme:** Financial assistance will be provided under the Scheme for development of 100 industrial parks in two or more phases. In the first phase, development of 50 industrial parks shall be taken up.

5. **Eligibility for assistance under the Scheme:**

5.1 **Land requirement:** For non-hilly states, a contiguous and encumbrance free land parcel of minimum 100 acre is required for consideration of the application for the industrial park. Non-contiguous, adjoining or connected parcels (not exceeding 2 with a minimum area of 100 acre each) located within a radius of 2 km may be considered on a case-to-case basis.

5.2 For hilly states, northeast region, union territories and states with population of less than one crore, minimum land requirement is 25 acre of contiguous and encumbrance-free land.

5.3 Land shall be provided by the state government, private developer, or central PSU, as the case may be. Further, availability of at least 90 percent encumbrance free land shall be mandatory, before consideration for approval under the Scheme.

5.4 Of the 100 industrial parks to be developed, upto twenty industrial parks will be between 500 acre to 1000 acre area, while remaining would be less than 500 acre.

5.5 Brownfield parks will be considered on a case-to-case basis subject to availability of minimum area of unencumbered, litigation-free, contiguous and unallotted land as per paragraph 5.1 and 5.2 above.

5.6 Projects where land is made available for development through land pooling or town planning schemes would be given additional weightage.

5.7 **Delegation of planning and development powers:** Planning and development powers for effective single-window mechanism, shall be delegated to the implementing agency by the State Government. Such delegation shall be mandatory before transfer of any fund for the project to the implementing agency.

5.8 In addition to the mandatory requirements for land and delegation of planning and development powers, each application/ proposal for the industrial park shall be evaluated on a challenge mode for the purpose of selection for funding under the scheme.

6. **Mode of implementation:**

6.1 The State/UT government or the Central PSU shall be the sponsoring agency. The State/UT government shall also be the sponsoring agency for proposals from private developers.

6.2 The development of the park shall be carried out by a Special Purpose Vehicle (SPV) formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) under DPIIT and the state nodal agency. States / UT government shall designate a state nodal agency, which may be the State Industrial Development Corporation, State Industrial Development Authority or such other government agency/authority mandated to develop industrial areas.

6.3 The SPV shall be the owner of assets created under the scheme, and shall be responsible for planning, construction, operation and maintenance of the industrial park to be developed. The ownership of the land for industrial park shall be transferred to the SPV, and funding would be provided by the Central Government through NICDIT.

6.4 The following SPVs shall be used:

(i) An existing SPV jointly promoted by the State Nodal Agency and NICDIT for developing industrial townships/ parks.

(ii) In case such SPV is not in existence, a new SPV under Companies Act, 2013 shall be incorporated for the purpose on similar lines to the SPVs constituted in 6.4(i).

(iii) In case of private developers, SPV shall be formed as a joint venture company between the State nodal agency, private developer and NICDIT. The private developer may also be the anchor investor and allot to itself up to 25% of developed land. Remaining developed land (minimum 75%) shall be allotted to other industries/ units by the SPV.

6.5 Details of the role and responsibilities of the SPVs shall be issued as part of the detailed guidelines.

7. Funding under the Scheme:

7.1 The total outlay of the Scheme is ₹ 33,660 crore.

7.2 Funding up to ₹ 1 crore per acre shall be provided for each project (except private developer led parks), in milestone linked tranches, without any escalation, in the form of equity through NICDIT. This fund can be used to develop core infrastructure, value added infrastructure, social infrastructure and external infrastructure.

7.3 Out of the total funding for each industrial park under the scheme, up to 25% may be allocated for development of external infrastructure works for providing last-mile connectivity. Further, for the total cost of such external infrastructure, the funding under BHAVYA shall not exceed 25% with the remaining 75% to be funded by State/UT government.

7.4 In case of projects developed in partnership with private developers, financial assistance shall be provided in form of equity through NICDIT, and shall be limited to ₹50 lakh per acre or 50% of infrastructure cost, whichever is lower.

7.5 The disbursement of funds for each project will be spread over three tranches over a period of three years, with specific milestones for release in each tranche.

7.6 The details of eligible components, ineligible components and milestones for funding will be issued in the guidelines separately.

8. Process of application and project evaluation

8.1 Applications under the scheme will be invited in two or more rounds.

8.2 Applications will be submitted by sponsoring agencies to DPIIT.

8.3 The applications will be evaluated using Challenge method with parameters that would cover the entire life cycle of the industrial park, from planning and development to operation and long-term sustainability, such as site selection, cost-competitiveness reforms, quality of DPR, operational readiness, sustainability, and institutional O&M framework.

8.4 The evaluation shall be done only for those applications that meet the mandatory requirements of land availability and delegation of planning and development powers, etc.

8.5 The details of the parameters that shall be part of the evaluation criteria/ matrix, and the selection through evaluation will be issued in the guidelines separately.

9. Governance Mechanism:

9.1 The scheme shall be implemented under the supervision of DPIIT. A two-tier monitoring mechanism will be instituted to oversee the scheme. The following committees would be constituted:

9.2 **National Level Steering Committee (NLSC)** will be chaired by the Secretary, DPIIT and have members from:

i. NITI Aayog

ii. Ministry of Road Transport and Highways,

iii. Ministry of Housing and Urban Affairs

iv. Ministry of Railways

v. Ministry of Labor & Employment

vi. Ministry of Electronics and Information Technology

vii. Ministry of Textiles

viii. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

ix. Department of Expenditure

x. Department of Economic Affairs

xi. Department of Pharmaceuticals

xii. Department of Commerce

The NLSC will recommend detailed guidelines, evaluation criteria and scoring methodology and changes thereof; approve projects and take other necessary measures for effective implementation of the scheme.

9.3 State Level Committee (SLC) will be chaired by the Chief Secretary of the concerned State/UT and would recommend projects, including those from private sector; and monitor and review the progress of the sanctioned projects. The composition of SLC and its responsibilities would be issued separately in the guidelines.

10. Project Management Agency (PMA) – National Industrial Corridor Development Corporation (NICDC) will assist NLSC in the implementation of the scheme at all stages of appraisal, selection, implementation and monitoring. The role and functions of PMA would be further detailed in the guidelines.

11. Scheme guidelines: Detailed operational guidelines for implementation of scheme will be issued separately.

12. Modifications to the Scheme: The authority to approve modifications in the scheme notification and guidelines is vested in the Minister-in-charge of DPIIT.

GURNEET TEJ, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.04.10 21:08:08 +05'30'